भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW

शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

अभिरूचि की अभिव्यक्ति' (प्रथम)

दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रबंधकीय सलाहाकारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 2400 दुग्ध समितियां कार्यरत है, जिनसे लगभग 70000 दुग्ध उत्पादक कृषक सम्बद्ध है तथा लगभग 50000 दुग्ध उत्पादकों द्वारा वर्तमान में दुग्ध समितियों के माध्यम से संघ को दूध विक्रय कर रहे है।

इन दुग्ध उत्पादक समिति सदस्यों के सर्वांगीण अर्थात् आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, संस्थागत, तकनीकी एवं पर्यावरणीय विकास हेतु अनुभवी प्रबंधकीय सलाहकार की सेवाओ हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। सफल आवेदनकर्त्ता भोपाल सहकारी दुग्ध संघ से सम्बद्ध दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिस हेतु मानदेय रू. 50000/— प्रतिमाह (मूल वेतन 42500 + 7500 रू. यात्रा भत्ता) निर्धारित होगा। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के विस्तृत विवरण, तकनीकी अर्हता, नियम एवं शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते है।

सलाहकार नियुक्ति हेतु कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :—

क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10.08.2024 को www.sanchidairy.com से समय 12:00 बजे से निरंतर
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 30.08.2024 को अपरान्ह 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
3.	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	भोपाल दुग्ध संघ के सभाकक्ष में दिनांक 02.09.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे से
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू. 30000/— (राशि रू. तीस हजार मात्र)

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवदेन पत्र में प्रबंधकीय सलाहकार के कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर निर्धारित तिथि एवं समय पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मे यथा वर्णित ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् प्रबंधकीय सलाहकार नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। प्रबंधकीय सलाहकार कार्य के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में (अंक तालिका पद्वति) Grading System अनुसार चयन किया जाएगा। एक से अधिक सफल आवेदनकर्ता की अंक तालिका समान होने पर चयन लॉटरी (Computer Randomisation) पद्धति के माध्यम से किया जाएगा।

प्रबंधकीय सलाहकार की अनुबंध अवधि एक वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर प्रबंधकीय सलाहकार का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में मूल अनुबंध की अवधि को छः माह की अवधि हेतु निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल ऊपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक ....

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भोपाल दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु प्रबंधकीय सलाहकार हेतु आवेदन पत्र

वर्ष 2024—2025

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल — 462024
E-mail : gm.fo.bsds@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

भोपाल दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु प्रबंधकीय सलाहकार हेतु आवेदन प्रपत्र

1	आवेदन प्रपत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि, समय एवं स्थान	10.08.2024 दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
2	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	30.08.2024 दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
3	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	02.09.2024. अपरान्ह 3:00 बजे
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	प्रत्येक आवेदन के साथ रू. 30,000/– (पचास हजार मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो
5	आवेदन खोलने का स्थान	सभाकक्ष, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज भोपाल

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य तथ्यः–

1. प्रपत्र क्र. 01 ''आवेदनकर्ता की आवश्यक अर्हताऐं'', प्रपत्र क्र.02 ''आवेदन के लिये नियम एवं शर्तें'', प्रपत्र क्र.03 ''आवेदन पत्र'', प्रपत्र क्र.04 ''अपराधिक प्रकरण सम्बंधित शपथ–पत्र'', प्रपत्र क्र.05 ''कालीसूची बद्ध शपथ–पत्र'' एवं 5 पृष्ठीय कार्ययोजना को एक बंद लिफाफे में रखें। लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
2. लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर प्रतिभागी आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 02.09.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करें। प्रबंधकीय सलाहकार के कार्य हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया सम्बंधी कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु प्रबंधकीय सलाहकार के कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में निवेदन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ ।

क्र.	अर्हता का विवरण	वांछित दस्तावेज
1	आवेदनकर्त्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	• व्यक्ति की दशा में किसी एक आई.डी. कार्ड (पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि) की स्वप्रमाणित छायाप्रति। • संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
2	आवेदनकर्त्ता का पेन कार्ड होना अनिवार्य है।	पेन कार्ड की छायाप्रति ।
3	प्रबंधकीय सलाहकार हेतु सम्बंधित आवेदनकर्त्ता को मानवशास्त्र में न्यूनतम स्नातकोत्तर डिग्री धारित होना चाहिए।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री की स्वसत्यापित छायाप्रति, चाहे जाने पर मूल डिग्री का अवलोकन कराना होगा।
4	शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	संस्था से जारी किया गया अनुभव प्रमाण–पत्र
5	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) का आवेदन पत्र ।	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) का आवेदन **प्रपत्र – 03** में संलग्न करें।
6	आवेदनकर्त्ता को शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में प्रबंधकीय सलाहकार के रूप में कालीसूची बद्ध (Blacklist) नही किया गया हो।	**प्रपत्र–05**
7	आवेदनकर्त्ता को कार्य के सम्बंध में कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी।	विभिन्न आयामों अर्थात् आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, शैक्षिक, शासकीय संस्थान आदि के विकास हेतु कार्ययोजना का विस्तृत विवरण (न्यूनतम 5 पृष्ठ)
8	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) के विरूद्ध पुलीस थाने /मा.न्यायालय में कोई वाद/आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।	तदाशय का शपथ पत्र रू 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। आवेदन प्रपत्र के **प्रपत्र–04** में प्रारूप अवलोकन हेतु संलग्न है।

9	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) बैंक का विवरण	चालू खाते की निरस्त चैक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
10	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के क्रय मूल्य की राशि की डी.डी. / बैंकर्स चेक के माध्यम से संलग्न करें।	तदाशय की रू. 1000 / — डी.डी. / बैंकर्स चेक जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगी संलग्न करे।

नोट :— (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ——————————————

नाम :— ——————————————

पता :— ——————————————

——————————————

——————————————

मोबाईल नं.——————————————

आवेदन की नियम व शर्ते :-

1. संघ कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु प्रबंधकीय सलाहकार के चयन हेतु निम्नानुसार Grading System (अंक तालिका) निर्धारित की गई है :–
   - 1.1 प्रबंधकीय सलाहकार के कार्य के लिये न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव निर्धारित हैं। पांच वर्ष के अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के 06 अंक के मान से अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे।
   - 1.2 इस प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम में कुल 30 अंक निर्धारित किए गए हैं।
   - 1.3 चयन के दौरान एक से अधिक सफल आवेदनकर्ता के अंक समान होने पर लॉटरी Computer Randamisation तकनीक से की जाएगी।
   - 1.4 यदि कार्य हेतु केवल एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र की तकनीकी अहर्ताओं का परीक्षणोपरांत सफल पाए जाने पर एकल आवेदक को प्रबंधकीय सलाहकार का कार्य आवंटित किया जाएगा।
2. **प्रबंधकीय सलाहकार को निम्नानुसार कार्यों का सम्पादन करना अनिवार्य होगा :–**

- दुग्ध समितियों के वर्तमान परिचालन का गहन विश्लेषण करना एवं सुधार क्षेत्रों की पहचान करना।
- दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिये न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के सम्बंध में परामर्श देना।
- दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिये प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम के सम्बंध में मार्गदर्शन देना।
- ग्राम स्तर पर सामाजिक समरसता की स्थापना हेतु मार्गदर्शन देना।
- दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त पशुपालन से अन्य आय के स्त्रोतों के सृजन एवं वैज्ञानिक पशुपालन एवं प्रबंधन के सम्बंध में मार्गदर्शन देना।
- दुग्ध उत्पादक सदस्यों को पशुपालन, चारा विकास, सहकारिता विकास एवं उनसे जुड़े अन्य आयामों पर शिक्षण–प्रशिक्षण के सम्बंध में मार्गदर्शन देना।
- दुग्ध उत्पादक सदस्यों का तकनीकी विकास करते हुये डिजीटलीकरण की ओर उन्मुख करने हेतु मार्गदर्शन देना।
- दुग्ध उत्पादक सदस्यों को पशुपालन एवं पर्यावरण के सम्बंध में व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराते हुये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण तथा शत–प्रतिशत स्वच्छ दूध उत्पादन की ओर अग्रसर करने के सम्बंध में मार्गदर्शन देना।

3. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर जमा ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा एवं भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होने वाले समस्त वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति दोषी प्रतिभागी/आवेदनकर्ता से वसूली योग्य होगी।
4. **सफल आवेदनकर्ता को अनुबंध संबंधी औपचाकिरताएं पूर्ण करने हेतु पत्र दिया जाएगा। इस पत्र के जारी होने के दिनांक से एक माह में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।**
5. **सफल आवेदनकर्ता को रू.1000/– के नोटराईज्ड स्टाम्प पर अनुबंध पत्र एक माह में प्रस्तुत करना होगा।**
6. **सफल आवेदनकर्ता की अनुबंध अवधि एक वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर प्रबंधकीय सलाहकार की ओर से निवेदन एवं सहमति प्राप्त होने एवं उसका कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में छः माह की अनुबंध वृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, दुग्ध संघ के हितों में संवर्धन हेतु आवेदनकर्ता/प्रबंधकीय सलाहकार की सहमति से मूल अनुबंध में नवीन शर्तों का भी समावेश कर सकते हैं।**
7. **सफल आवेदनकर्ता/प्रबंधकीय सलाहकार को बतौर प्रतिभूति राशि रू. 30000/– (रूपये तीस हजार), जिसमें से 60 प्रतिशत राशि रू. 18000/– आरटीजीएस अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि रू. 12000/– की संयुक्त एफ.डी.आर एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय जमा की गई अमानत राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा।**
8. प्रबंधकीय सलाहकार किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/संघ विरोधी गतिविधियों/संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्य करते पाये जाने पर संघ द्वारा प्रबंधकीय सलाहकार का अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेंगी।

9. आवंटित क्षेत्र में प्रबंधकीय सलाहकार को शत–प्रतिशत समितियों को कवर करते हुये समस्त दुग्ध उत्पादक समिति सदस्यों को लाभान्वित करना अनिवार्य होगा।
10. प्रबंधकीय सलाहकार को ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न मानकों पर आधारित मासिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेगे, जिसकी प्रतिमाह उपलब्धि अनिवार्य होगी। लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि आशानुरूप नहीं होने पर प्रबंधकीय सलाहकार का कार्य निरंतर जारी करने/समाप्त करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा। लक्ष्यों की समीक्षा प्रतिमाह की जावेगी। मासिक अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त नहीं की जाती है तो आगामी समीक्षा एक माह पश्चात् की जाएगी। यदि इस अवधि में भी लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि हासिल नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
11. प्रबंधकीय सलाहकार दुग्ध संघ द्वारा चाही गई जानकारियां निर्दिष्ट किए गए प्रारूप में समय–समय पर प्रस्तुत करेंगे।
12. दुग्ध संघ द्वारा पत्र/परिपत्र के माध्यम से समय–समय पर जो भी निर्देश जारी किये जाऐंगे उनका पालन करना प्रबंधकीय सलाहकार को अनिवार्य होगा एवं इन परिपत्रों/पत्रों को अनुबंध का भाग माना जाएगा।
13. एक अथवा समस्त आवेदनों को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. प्रबंधकीय सलाहकार को प्रतिमाह न्यूनतम 15 दिवस क्षेत्र भ्रमण कर क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों का आंकलन कर समिति सदस्यों के उन्नयन हेतु व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना अनिवार्य होगा। मार्गदर्शन से होने वाले सुधारों का परीक्षण आंकड़ो के आधार पर किया जायेगा। निरंतर 03 माह तक सकारात्मक सुधार न होने की स्थिति में प्रबंधकीय सलाहकार का अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।
15. **प्रबंधकीय सलाहकार आवंटित कार्य किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।**
16. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण नहीं होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
17. संघ द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की अवहेलना की जाने पर सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं उसे ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा
18. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य आवंटन की सामान्य शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ और समझ ली गई है। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है। भविष्य में यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाई जाती है तो संघ द्वारा मेरा/हमारा कार्य आवंटन निरस्त कर संघ में जमा अमानत राशि राजसात कर कार्यवाही की जाती है तो मुझे/हमें मान्य होगी। मुझे/हमें उपरोक्त समस्त नियम व शर्ते मान्य है। मेरे/हमारे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशो का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा/हमारा कार्य आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र क्र.03

भोपाल दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु प्रबंधकीय सलाहकार हेतु आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता स्वयं का स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो

1. आवेदक / फर्म / पार्टनरशिप / कम्पनी का नाम ....

....

2. आवेदक के पिता का नाम ....

3. स्थाई / वर्तमान पता ....

....

....

....

4. दूरभाष / मोबाईल नं. ....

5. पेन कार्ड नम्बर ....

मेरे / हमारे द्वारा भोपाल दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु प्रबंधकीय सलाहकार सम्बंधी इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे / हमारे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

प्रपत्र–04

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .. ..यह कि मेरे/हमारे द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु प्रबंधकीय सलाहकार की सेवाओं के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक .... (कंपनी का नाम अंकित करें) के विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण/वाद दर्ज नही है।

1. गवाह
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...
2. गवाह
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

<u>प्रपत्र–05</u>

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल–462024 म.प्र.

विषयः काली सूची में न डाले जाने की घोषणा।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय संसथा द्वारा काली सूची बद्ध (ब्लैक लिस्टेड) नहीं किया गया है।

भवदीय

(आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर एवं नाम)

भोपाल दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु प्रबंधकीय सलाहकार हेतु कार्य अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा। (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स .... भोपाल द्वारा पार्टनर श्री ....से बतौर प्रबंधकीय सलाहकार (द्वितीय पक्ष) की हैसियत से **दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु** दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर प्रबंधकीय सलाहकार के रूप में भी संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के दोनों ही पक्ष परस्तर सहमत है तथा स्वीकार करते हैं कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति तथा पक्ष क्र.02 द्वारा निष्पादित व हस्ताक्षरित कर आवेदन प्रपत्र क्र.01 एवं प्रपत्र क्र.02 में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं शर्त आदि इस लिखित अनुबंध की अंतरवस्तु के अटूट भाग होकर दोनों ही पक्षों पर समान रूप से बंधनकारी होंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके प्रबंधकीय सलाहकारी सेवाओं को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। यदि प्रबंधकीय सलाहकार इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का अग्रिम लिखित नोटिस प्रबंधकीय सलाहकार का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. प्रबंधकीय सलाहकार द्वारा दुग्ध संघ के पास प्रतिभूति राशि रू. 30000/— शब्दों में (तीस हजार रूपये मात्र)में से 60 प्रतिशत राशि नगद आरटीजीएस/डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से तथा शेष 40 प्रतिशत राशि संयुक्त एफ.डी.आर. द्वारा जमा की गई है।। दुग्ध संघ में नगद जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदन के समय की गई अमानत राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा।
3. प्रबंधकीय सलाहकार द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नही होगा। .
4. भोपाल दुग्ध संघ किसी भी समय अनुबंध की नियम एवं शर्तो को जोड़ने, हटाने एवं स्पष्ट करने का विशेषाधिकार रखेगा जो कि प्रबंधकीय सलाहकार पर बाध्यकारी रहेगा।
5. प्रबंधकीय सलाहकार शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबावदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय—समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी।
6. प्रबंधकीय सलाहकार को आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा एवं न ही अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये अनुबंध निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
7. आवंटित क्षेत्र में प्रबंधकीय सलाहकार को शत—प्रतिशत समितियों को कवर करते हुये समस्त दुग्ध उत्पादक समिति सदस्यों को लाभान्वित करना अनिवार्य होगा।
8. प्रबंधकीय सलाहकार को प्रतिमाह न्यूनतम 15 दिवस क्षेत्र भ्रमण कर क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों का आंकलन कर समिति सदस्यों के उन्नयन हेतु व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना अनिवार्य होगा। मार्गदर्शन से होने वाले सुधारों का परीक्षण आंकड़ो के आधार पर किया जायेगा। निरंतर 03 माह तक सकारात्मक सुधार न होने की स्थिति में प्रबंधकीय सलाहकार का अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।
9. यह अनुबंध एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा प्रबंधकीय सलाहकार का कार्य एक वर्ष की अवधि में संतोषप्रद होने पर अनुबंध की समान शर्तो के अंतर्गत कार्य अवधि अधिकतम छः माह हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
10. प्रबंधकीय सलाहकार को ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न मानकों पर आधारित मासिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेगे, जिसकी प्रतिमाह उपलब्धि अनिवार्य होगी। लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि आशानुरूप नहीं होने पर प्रबंधकीय सलाहकार का कार्य निरंतर जारी करने/समाप्त करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा। लक्ष्यों की समीक्षा प्रतिमाह की जावेगी। मासिक अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त नहीं की जाती है तो आगामी समीक्षा एक माह पश्चात् की

जाएगी। यदि इस अवधि में भी लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि हासिल नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।

11. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा संघ कार्यक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु प्रबंधकीय सलाहकार बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि प्रबंधकीय सलाहकार प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे समय–समय पर दिये गये ऐसे दिशा–निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, जो ग्रामीण विकास कार्य के लिये आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपनें व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये प्रबंधकीय सलाहकार को पृथक करने हेतु स्वतंत्र होगा।
12. **प्रबंधकीय सलाहकार को कार्य हेतु स्वयं के वाहन अथवा किराए के वाहन का उपयोग करना होगा। संघ स्तर इस कार्य हेतु पृथक व्यवस्था नही की जावेगी। यात्रा भत्ते के रूप में मूल वेतन राशि रू. 42500.00 के अतिरिक्त राशि रू. 7500.00 का भुगतान प्रतिमाह किया जायेगा।**
13. डेयरी परिसर के अंदर प्रबंधकीय सलाहकार द्वारा धूम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। ऐसे करते पाये जाने पर प्रथमतः अर्थदण्ड राशि रू. 1000/– प्रबंधकीय सलाहकार से वसूला जावेंगा। पुनः प्रबंधकीय सलाहकार द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति करने पर दुग्ध संघ द्वारा डेयरी परिसर में प्रबंधकीय सलाहकार का प्रवेश निषेध कर दिया जावेगा।
14. प्रबंधकीय सलाहकार अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/पूर्व संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
15. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
16. संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश प्रबंधकीय सलाहकार को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
17. अभिरूचि की अभिव्यक्ति में आवेदक के लिए निर्धारित की गई आवेदन की नियम व शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी।
18. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
19. संघ द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की अवहेलना की जाने पर आपकी सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा
20. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय में रहेगाा।

मैं .... पिता/पति/पत्नी.. प्रबंधकीय सलाहकार ....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती...................................... को घोषित करता/ करती हूँ।

प्रबंधकीय सलाहकार के हस्ताक्षर .... **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

नाम.. भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

पता..

1.गवाह के हस्ताक्षर .... नाम एवं पताः–..................................

प्रभारी (क्षे.सं.)

भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

....

....

2.गवाह के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पताः–....................................

<u>संघ कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

<u>वर्ष 2023—24</u>

क.	जिले का नाम	समिति संख्या (मार्च 2024)	सदस्य संख्या (मार्च 2024)
1	भोपाल	134	2696
2	सीहोर	423	17296
3	राजगढ़	441	17760
4	रायसेन	247	4059
5	विदिशा	274	4917
6	नर्मदापुरम्	137	3036
7	बैतूल	333	14711
8	हरदा	38	627
9	शाजापुर	160	7097
10	गुना	106	1320
11	अशोकनगर	24	165
	योग	**2317**	**73684**